न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सत्यनारायण सैन (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 56/2022

सरकार बनाम लतीफ पुत्र मिराज अली, फारूख पुत्र मिराज अली, अदरीश पुत्र निजामुदीन, जाति–काजी, निवासी–बामनवास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 29.06.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान लतीफ पुत्र मिराज अली, फारूख पुत्र मिराज अली, अदरीश पुत्र निजामुदीन, जाति–काजी, निवासी–बामनवास द्वारा रोही मौजा बामनवास की राजकीय भूमि ख.नं. 355 के कुल रकबा 25.755 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर ईंट डालकर, खोखा रखकर, कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल अदरीश ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि ग्राम बामनवास की भूमि ख.नं. 355 किस्म गै.मु. जोहड़ में उनका कोई अतिक्रमण नही है। गैर सायलान अपनी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है। दिनांक 22.06.2009 को ग्राम पंचायत लाखू द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है। अपनी पट्टेशुदा भूमि जो कि खसरा नं. 355/1/1 में है, जिसमें अपनी परिवार सहित रहवास करता है। जवाब के साथ न्यायालय सिविल न्यायाधीश चिड़ावा के मु.नं. 06/2010 के निर्णय दिनांक 27.11.2018 की प्रति भी पेश की है। जिसमें माननीय न्यायालय ने वादी को बेदखल नही करने के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश चिड़ावा में उनवानी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनाम सैशन न्यायाधीश चिड़ावा के यहा विचाराधीन है। चूंकि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपील माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश चिड़ावा में विचाराधीन है, उक्त अपील के निर्णय तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही होने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण सैन)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़